झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

चतुर्थ-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 16.12.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	विदित हो कि पलामू जिला अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के 5वें, 6ठे तथा 7वें चरण की योजनाएँ अभी तक पूरी नहीं हुई है। उदाहरण स्वरूप पैकेज संख्या- JH 1712 सिक्की कला- सिक्की खुर्द, नावा-महुलिया, गहरपथरा, करर कला, पकरी-रजहारा, मानआहर-मझीगाँव आदि कई ऐसी सड़क योजनाएँ है, जिनका निर्माण कार्य 20.11.2011 को ही पूरा कर लिया जाना था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। 6ठे चरण के पैकेज संख्या JH 1704 के अंतर्गत सभी सड़कों का भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत दिखला कर संपूर्ण राशि की निकासी कर ली गई है, जबकि धरातल पर कार्य को किया ही नहीं गया है। पलामू जिले के HSCl तथा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराये जा रहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति अत्यंत ही चिन्ताजनक है। मैं उक्त अति लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास
02-	सर्वश्री प्रो0स्टीफन मराण्डी, रवीन्द्र नाथ महतो एवं श्री दीपक बिरूवा स0वि0स0	झारखण्ड सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा मास्टर प्लान 2037 तैयारकर राँची नगर निगम में इसके चारोतरफ के 184 आदिवासी बहुल गाँवों को शामिलकर गाँवों के जमीन का प्रयोग बदलते हुए 138 कॉलोनी निर्माणकर करीब 17 लाख बाहरी लोगों को बसाने का प्रयास जारी है जो पूर्णरूपेण संविधान के अनुच्छेद 46 "Directive principles of State Policy" में	नगर विकास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		प्रदत आदिवासी जैसे कमजोर विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों को संरक्षण देने PESA 1996 अन्तर्गत आदिवासी समाज को पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में धर्म, परम्परा, संस्कृति पर आधारित जीवन जीने का हक, अनुच्छेद 19(5) में विशिष्ट संस्कृति, रिवाज आदि की रक्षाहेतु बाहरी जातियों के प्रवेश पर रोक, छोटानागपुर के लिए विशेष कास्तकारी अधिनियम (CNT ACT)में आदिवाससियों की जमीन के संरक्षण हेतु विशेष संरक्षात्मक कानून एवं ए0बी0 ठक्कर समिति एवं Constituent Assembly में इनकी रक्षाहेतु निर्णय के घोर विरूद्ध है। अतएव उक्त आदिवासी विरोधी गैरसंवैधानिक मास्टरप्लान 2037 को निरस्त करते हुए आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षाहेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक- 11 अप्रैल, 2007 को झारखण्ड राज्य के 12 जिले पूर्ण रूप से और 3 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया और उक्त क्षेत्र के क्षेत्र को परिवर्त्तन करना हो तो अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में कतिपय संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं, जिसका अनुसरण किया जाना आवश्यक है। भारत के संविधान में 74वें संविधान संशोधन लाने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के गठन पर संवैधानिक रोक लगाई गई, परन्तु राज्य सरकार ने दिनांक- 01.12.2015 को असंवैधानिक निर्णय लेते हुए राँची जिला के 184 गाँवों सहित 652 वर्ग कि0मी0 परिधि की जमीन मास्टर प्लान 2037 के विकसित करने हेतु ग्रेटर राँची डेवलोपमेंट ऑथोरिटि को हस्तांरित कर दिया गया। अतएव संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों हेतु घोषित विधि के विरूद्ध लिये गये निर्णय पर अविलम्ब रोक लगाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	वर्त्तमान सरकार राज्य को उच्च शिक्षा का हब बनाने की मंशा रखती है। राज्य में निजी विश्वविद्यालयों का आगमन इसी कड़ी में देखा जा सकता है। मैं राज्य के पांच विश्वविद्यालयों की संरचनात्मक स्थिति एवं इन विश्वविद्यालयों में कार्ररत शिक्षकों के वर्त्तमान हालात पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मापदण्ड के आधार पर कार्यरत हैं। आवश्यकता है कि इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को UGC के नियमानुसार पी0एच0डी0 वेतनवृद्धि भुगतान, पांचवें एवं छठे वेतनमान की अन्तर राशि का भुगतान एवं	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		राज्य सरकार के विश्वविद्यालय अधिनियम का सामान रूप से लागू किया जाये। झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम का अनुपालन सभी विश्वविद्यालयों में सामान रूप से न होने के कारण राज्य के मात्र दो ही विश्वविद्यालयों में चार वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करनेवाले सहायक प्रोफेसरों को ए0जी0पी0 7000 रूपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, जबकि अन्य तीन विश्वविद्यालय में इसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है, राँची विश्वविद्यालय भी इनमें से एक है। अतएव उक्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी पी0एच0डी0 वेतनवृद्धि भुगतान, पांचवें एवं छठे वेतनमान की अन्तर राशि का भुगतान, ए0जी0पी0का भुगतान एवं विश्वविद्यालय सेवा तथा प्रोन्नति नियमावली का गठन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04-	श्री प्रदीप यादव एवं श्री ताला मराण्डी स0वि0स0	यह विषय राज्य के सैकड़ों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। वर्ष 2009 से 2012 के बीच इस राज्य के 514 नौजवानों को नौकरी का लालच देकर फर्जी नक्सली घोषित कर सरेंडर कराया गया था। उन्हें पुलिस के सीनियर अधिकारियों एवं कोबरा बटालियन CRPF के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया था कि सरेंडर पॉलिसी के तहत उन्हें सारी देय सुविधाओं के साथ नौकरी भी मिलेगी, इसके तहत उन्हें 2-2 साल तक जेल में रखा गया और करोड़ों रूपये की ठगी भी उन बेरोजगारों से की गयी। उसी प्रकार वर्ष 2015 को डॉ0 इंतजार अली को फर्जी आतंकवादी घोषित कर लगभग दो महीने जेल में रखा गया। उपरोक्त दोनों घटनाऐं पुलिस के आला अफसरों के निर्देशन एवं उनकी मिलीभगत में घटित हुए हैं। अतः उपरोक्त दोनों घटनाओं की उच्चस्तरीय जाँच हाईकोर्ट के वर्तमान जज की अध्यक्षता में SIT गठन कर करायी जाय। इस विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	गृह
05-	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	कृपया विदित हो कि पाकुड़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पाकुड़ सदर प्रखण्ड एवं बरहरवा (साहेबगंज) प्रखण्ड में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है। बरहरवा प्रखण्ड के 17 गाँव एवं पाकुड़ प्रखण्ड के 17 गाँव में बिजली पोल उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण बाँस एवं लकड़ी के पोल पर तार गया है, जिससे अप्रिय घटना की सम्भावना बनी रहती है।	ऊर्जा

(कृ0 पृ0 उ0)

		अतः पाकुड़ एवं बरहरवा प्रखण्ड में लम्बित विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराने तथा सभी बाँस एवं लकड़ी पोल को बदलकर सीमेंट पोल लगाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 16 दिसम्बर, 2015 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-.....3026...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 15/12/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ग्रामीण विकास/नगर विकास विभाग/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ गृह विभाग एवं ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/12/15
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-.....3026...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 15/12/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/12/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

15/12